


24/06/17

आदेश

वादी का वाद पत्र आवाहीन होने से
रवाना किया गया है।

पत्रवादी के मूल मुआर होकर नम्बर
से काम हो तथा बाद-तकमील दारिखत दफ्तर
है। निर्णय आज दिनांक 24-6-17 को कांस्थ
कोर्ट कोट में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (मुन्धुन)